:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–79 / 2021 दायर दिनांक 24.08.2021

भगवानलाल पुत्र मानजी ननोमा निवासी मेवडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।

–वादी

बनाम

1 शंकर पिता मानजी ननोमा
2 गणेश पिता शंकरलाल ननोमा
3 बाबुलाल उर्फ गजेन्द्र पिता शंकरलाल ननोमा
4 कमला पत्नी शंकरलाल ननोमा समस्त निवासीयान मेवड़ा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।
5 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थित :–

1 श्री श्रवण रावल अधिवक्ता वादी।

2 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4।

3 पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 24 / 07 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मोजा मेवडा कें खसरा संख्या 2485 / 2148 रकबा तीन बीघा भूमि है, जिसमें वादी ने खातेदार काश्तकार घोषित कराने वाद प्रस्तुत किया है वादी ने अपने वाद के कॉलम सख्या 4 मे उक्त भूमि प्रतिवादी शंकरलाल के नाम आवंटन होने का अभिकथन किया है।

प्रतिवादी शंकरलाल की ओर से एडवोकेट मनीष कुमार कलाल ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का पेश किया कि उक्त आराजी प्रतिवादी शंकरलाल के नाम आवटन हुई है। वादी एवं प्रतिवादी शंकरलाल दोनो भाई है। इसी आधार पर वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहता है। वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं होकर आवंटित भूमि है। ऐसे में उक्त वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

प्रतिवादी शंकरलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब वकील वादी ने पेश किया कि उक्त आराजी प्रतिवादी शंकरलाल के नाम बडे पुत्र होने के नाते आवंटन हुई है। इस प्रकार आवटंन शुदा भूमि के संबंध में खातेदारी देने का इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

समस्त तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय का मत है कि वाद के पैरा 03 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल पिता मानजी के नाम पर आवंटन हुई थी। आवंटित भूमि पैतृक भूमि नहीं है। पैतृक भूमि नहीं होने से वादी का उसमें कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। ऐसे में वादी को वादग्रस्त भूमि में खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 24/07/2024 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner